झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या–14/2023

झारखण्ड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा–2023

JLSCE-2023

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या –2160, दिनांक–13.04.2023 द्वारा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, राँची के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका के पद की संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में ''झारखण्ड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा–2023'' के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्कः–

परीक्षा शुल्क रू॰ 100/–(सौ रूपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूटः–झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू॰ 50/– (पचास रूपये) है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–8559, दिनांक–23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

3. रिक्तियों का विवरण :–

क्रम सं॰	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या					
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
				खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	महिला पर्यवेक्षिका	1.अनारक्षित	187	09	05	05	04	04
		2.अनुसूचित जनजाति	101 (02 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)					
		3.अनुसूचित जाति	35					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	42					
		5.पिछड़ा वर्ग (अनु–II)	35					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	44					
		योग :–	**444**	**09**	05	05	04	04

- **कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।**
- अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में से 2 (दो) प्रतिशत रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

4. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें की वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

5. कंडिका– 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1	महिला पर्यवेक्षिका (समूह–'ख' अराजपत्रित)	पे मैट्रिक्स लेवल–6, 35,400 – 112400/–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/गृह विज्ञान विषयों में स्नातक महिला।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

(i). **अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।** अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(ii). खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 द्वारा **श्रेणी–'ख'** के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

क्र०सं०	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
2	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
3	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

नोटः– उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 आयोग के वेबसाईट **www.jssc.nic.in** पर उपलब्ध है।

6. आयु सीमाः–उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :–

क्रम सं॰	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि
1	2	3	4
1	महिला पर्यवेक्षिका	01.08.2023	01.08.2019

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 21 वर्ष

(ख) **अधिकतम उम्र सीमाः**–(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–29, दिनांक–04.01.2021 द्वारा यथा निर्धारित)

(i) **महिला** [अनारक्षित, आ०क०व०, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)] – 38 वर्ष।

(ii) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (महिला) – 40 वर्ष।

(ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र **(परिशिष्ट– X)** में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्ततों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(घ) **आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण–पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त ''ग'' या ''ङ'' में कोई एक ही मान्य होगा।

7. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा आयोग द्वारा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगीः–

(i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट – XI)** उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।

(iii) उपर्युक्त कंडिका–(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उतरदायी होंगे।

8. I. परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक अर्हत्ता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिकाओं में विहित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं।

9. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

10. <u>आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र</u>

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–IX पर धारित है।

(ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक–02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।

(ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(च) पिता/पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. <u>जाति प्रमाण पत्र</u>–

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–II पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट– III पर धारित है।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–IV पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–VI पर धारित है।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ''आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–VII) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।

(च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।

(ज) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–235, दिनांक–10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोटः–

(I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट–I से परिशिष्ट– IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित आवदेक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्त्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्त्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

12. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशः–

(i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्त्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।

(क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।

(ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।

(ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।

(ii) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा– तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

13. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करनाः—

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेवसाईट www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for **JLSCE-2023** को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।

ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।

iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग—ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें । आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगईन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।

iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।

vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

14. **आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधनः—**

दिनांक— 31.10.2023 से दिनांक— 02.11.2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई—मेल आई॰डी॰ एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। **उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित करने हेतु मात्र एक अवसर प्रदान किया जायेगा।** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत द्विव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को द्विव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

15. **आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :— ऑनलाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत् हैं:—**

क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक—26.09.2023 से दिनांक— 25.10. 2023 की मध्य रात्रि तक।

ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक— 27.10.2023 की मध्य रात्रि तक।

ग) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक— 29.10.23 की मध्य रात्रि तक।

घ) दिनांक— 31.10.2023 से दिनांक— 02.11.2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई—मेल आई॰डी॰ एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जायेगी। जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

16. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रियाः–

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने **JLSCE-2023** Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

17. <u>परीक्षा का स्वरूप</u> :– आयोग द्वारा CBT आधारित परीक्षा ली जायेगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहो में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :–परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

18. मुख्य परीक्षा :–

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगेः–

18.1 पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) : कुल प्रश्न – 120, परीक्षा अवधि – 2 घंटा

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न

*भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (**Qualifying**) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंको को जोड़ कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।*

18.2 पत्र –2–चिन्हित <u>जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा : कुल प्रश्न–100,परीक्षा अवधि– 2 घंटा</u>

हिन्दी/ अंग्रेजी/ उर्दू/ संथाली/ बंगला/ मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडुख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/ संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा *में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।*

18.3 पत्र– 3

<u>तकनीकी/विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा</u>

<u>कुल प्रश्न–150, परीक्षा अवधि– 2 घंटा 30 मिनट</u>

(क) तकनीकी/विशिष्ट विषय	–	100 प्रश्न
(ख) सामान्य अध्ययन	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	10 प्रश्न

तकनीकी/विशिष्ट विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

टिप्पणीः– पत्र–1, पत्र–2 एवं पत्र–3 प्रत्येक पत्र में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र–2 एवं पत्र–3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र–2 में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र–3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

<u>पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)</u>

(क) **हिन्दी भाषा ज्ञान :–**

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) **अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–**

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

<u>पत्र – 2 (चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा)</u>

हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ुख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे। उक्त पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी।

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–XII** पर धारित है।

पत्र –3

(क) तकनीकी/विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम विवरणिका की परिशिष्ट–**XIII** में संलग्न है।

(ख) (i) **सामान्य अध्ययनः–**

वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञानः–

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्त्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

(ii) **सामान्य विज्ञानः–**

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान (कम्प्यूटर ज्ञान सहित) की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ii) **सामान्य गणितः–**

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

19. **मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :**

(i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका–18.3 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र–2– चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा तथा पत्र–3 – तकनीकी/विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर सामान्य मेधा–सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और मेधा (Merit) के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

(I)	अनारक्षित /आ॰क॰व॰	– 40 (चालीस) प्रतिशत
(II)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	– 32 (बत्तीस)प्रतिशत
(III)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –(अनुसूची–1)	– 34 (चौंतीस) प्रतिशत
(IV)	पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2	– 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत
(V)	आदिम जनजाति	– 30 (तीस) प्रतिशत

(v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा–सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटि वार चयन सूची गठित होगी।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका–19 के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/ अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरूद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

21. नियुक्तिः–

(i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

22. अन्यान्यः–

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगें।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्त्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों की भिन्नता तथा उक्त प्रपत्रों के अन्तर्गत वर्त्तनी में त्रुटि/अशुद्धि से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वाराः–

   (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,

   (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

(iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों / फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–

(क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी / उनके माता–पिता / अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

5. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र / उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

(i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

(iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।

(iv) आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करना।

(v) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vii) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो।इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(ix) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(x) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(xi) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

(xii) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में **500 (पाँच सौ रूपये)** शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xiii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiv) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।

(xvi) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvii) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलैक्टोनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाऐगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xviii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

(xix) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

(xx) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगें। इन कागजातो की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।

(xxi) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(xxii) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखे, प्रमाण–पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह॰ / –
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट–(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि.–19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................. तिथिः–.............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .... डाकघर........................... थाना .... जिला .... राज्य.............................. अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत.................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा.................................., शहर............................., जिला.........................., राज्य.................में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

————————

परिशिष्ट–(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–
14/जा॰नि॰–03–13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म

(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :–   दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता श्री................................ ..../पति श्री .... (विवाहित महिला के मामले में) पता–ग्राम/वार्ड/शहर... पो0......................................थाना..................................... जिला/प्रमंडल......................................राज्य/संघशासित प्रदेश ...., झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन ....जाति के सदस्य हैं तथा .... धर्म को मानने वाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमण्डल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झाखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्त्तन होने तक वैद्य होगा।

<u>टिप्पणी</u>

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा– 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व–घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट हैः–

   i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्त्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमण्डल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

   ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेन 1950 (अनुसूचित जानजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान : ....

दिनांक :..................................   हस्ताक्षर ....

परिशिष्ट(III)

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....,
पिता .... ग्राम/नगर ....,
जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ....,
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन .... जाति/जनजाति के सदस्य हैं:–

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
* संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवा सामान्य रूप से .... राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान ....

तिथि ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट–(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक–08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

पदनाम .... कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट–(V)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व–घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं .... पिता ....
पति/पत्नी .... निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर ....
.... पोस्ट .... थाना ....
अंचल .... जिला .... राज्य ....
एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं ....
समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था॰ (एस॰सी॰टी॰)/ झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या .... दिनांक .... में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला .... अंचल .... के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक .... निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रूपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनूसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व–घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा॰द॰वि॰ एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–(VI)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/जा॰नि॰–03–13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता श्री.................... ..../पति श्री .... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर.................................. जिला/प्रमंडल......................................राज्य/संघशासित प्रदेश .... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदो के लिए आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर .... जिला/प्रमण्डल .... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था॰ (एस॰ई॰टी॰) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्था॰ (एस॰ई॰टी॰) दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता–पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान : ....

दिनांक :................................... हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट–(VII)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. ………………………….. Date ………………….

Valid for the Year ………………

This is certify that Shri/Smt./ Kumari …………………………………… son/daughter/wife of ………………………………….. permanent resident of ……………………………………. village/street ……………………………….. post office ……………………….. District …………………….. in the State/Union Territory Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ………………………. His/Her family does not own or possess any of the following assets***.

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari …………………………………………….. belongs to the ……………….. caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

Signature with seal of office …………..

Name ……………………………………

Designation …………………………….

---

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट–(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14 / स्थानीयता. नीति–14–03 / 2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री .... पिता / पति श्री... पता–ग्राम / वार्ड / शहर.. पो0......................................थाना.................................... जिला...................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

<u>परिशिष्ट–(IX)</u>

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 5752 दिनांक– 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक–19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
<u>झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र</u>

प्रमाण पत्र सं॰ :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री......... .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर... पो0................................... ....थाना..................................... जिला....................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक–18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान : ....

दिनांक :....................................

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट–(X)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता अनुबन्ध–1

प्रमाण पत्र संख्या.................................. तारीख...

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..
..सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री...आयु..लिंग..............................
...पहचान चिन्ह..निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त–

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनो टांगे (बी॰एल॰) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(ii) दोनों बाहें (बी॰ए॰) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी॰एल॰ए॰) – दोनों टांगे और बाहें प्रभावित
(iv) एक टांग (ओ॰एल॰) – एक टांग प्रभावित (दायां बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
(v) एक बांह (ओ॰ए॰) एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
(vi) पीठ और नितम्ब (बी॰एच॰)– पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
(vii) कमजोर मांस पेशियां (एन॰डब्ल्यू॰) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी॰– अंधापन
(ii) पी॰ बी॰– आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी॰– बधिर
(ii) पी॰ डी॰– आंशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है / गैर प्रगामी है / इसमें सुधार होने की संभावना है / इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती।.............................वर्षों......................................महिनों की अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत...है।

4. श्री / श्रीमती / कुमारी..अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पुरा करते / करती हैः–

(i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(ii) पी॰ पी॰– धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(iv) के॰ सी॰– घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(v) बी –झुक कर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(vii) एस॰ टी॰– खड़े होकर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(viii) डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(ix) एस॰ई॰– देख कर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(x) एच – सुनने / बोलने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(xi) आर॰ डब्ल्यू – पढ़ने ओर लिखने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं

(डॉ0.......................................)	(डॉ0...)	(डॉ0..)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड।	चिकित्सा बोर्ड।	चिकित्सा बोर्ड।

चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी /
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षारित।
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट (**XI**)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या.................................. तारीख...

लिखने में अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..आयु...लिंग.................................. पहचान चिन्ह..स्थायी पता .... का परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। जाँचोपरांत पाया गया कि इनकी शारीरिक अक्षमता इनके लिखने की प्रक्रिया को अवरूद्ध करती है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

नोट– प्रमाण पत्र संबंधित दिव्यांगता के चिकित्सक द्वारा ही निर्गत किया जाय।
(उदाहरण – अंधापन और कम दृष्टि – चक्षु विशेषज्ञ)

परिशिष्ट–(XII)

संताली भाषा

खण्ड 'क'

(i) **व्याकरण** – भाषा परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, क्रिया, काल, विशेषण अव्यय, प्रत्यय, पहेलियाँ मुहावरे, भेनताकाथा, बुझोबोल, कुद्रुम, सजीव–निर्जीव, समोच्चरण भिनार्थक अर्थ, लकोक्ति।

खण्ड 'ख'

(ii) साहित्य –

संताली लोक साहित्य – अर्थ, परिभाषा, भाग–विभाग, संतालों का उद्‌भव और विकास, गोत्र विभाजन, गाढ़ विभाजन, पर्वत्यौहार, संस्कार विवाह, मृत्यू।

लोक गीत – डाहार, बाहा, सोहराय काराम, दोङ, विबाह, दाँसाय।

संताली शिष्ट साहित्य – कविता–कुङकुरुबुद, (हरिहर हाँसदा), साँवहेंत्, (बादल मुर्मू), माराङोः, (सारदा प्रसाद किस्कू), सेंगेल, बिरसा मुण्डा, (के० सी० टुडू), तुपुनघाट, (रघुनाथ टुडू). साना (डमन हाँसदा), राहला रिमिल (डमन हाँसदा), चेहरा (श्यामचरण हेम्ब्रम)।

खण्ड 'ग'

लोक कथा – धारती सिरजाव काथा, मानवा सिरजाव काथा पारिस काथा, सेंदराकारका काथा, पाराब पुना काथा।

कहानी– माड़घाटी, (दिगम्बर हाँसदा), तारा आञचार, (के० सी० टुडू), आनखा लाहा,
(सोभानाथ बेसरा), काथा रेनाङ गोनोङ, (चमपावती टुडू)

नाटक – किरिञ सिंदुर, तिलका मुरमू ।

निबंध – सिदो कानहू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल, डिबा किसुन हुल, बिरसा आन्दोलन,
पर्व–त्यौहार, आगिल हापड़ाम कोवाः काथा।

खड़िया भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरण – वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाच्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द।

खण्ड 'ख'
पद्य साहित्य

(1) लोकगीत :– खड़िया लोकगीत की परिभाषा, वर्गीकरण 10 विविध लोकगीत

(2) शिष्टगीत :–

1. सेनेल – नुवस केरके'ट्टा
2. जोहार – प्यारा केरके'ट्टा
3. गलगाथा क्रूस दारू तो'मलुङ ताय – पादरी सामुएल बागे
4. दुरङनानिङ आलोङनानिङ दारू तेगा – श्री सामुएल बागे
5. ए अपा
6. सेनेल
7. धाइन तेरतेले
8. कि'तुङ' अपा
9. उमिञ चोना – डॉ. अनिल वीरेन्द्र कुल्लू
10. भंइहर पो'दा – सुं. प्रफुल्ल सोरेङ

(3) कविताएँ :–

1. लमलम – प्यारा केरके'ट्टा
2. 26 जनवरी – प्यारा केरके'ट्टा
3. महाजियोम गाँधी – प्यारा केरके'ट्टा
4. झाड़ी धरम मोञ – प्यारा केरके'ट्टा
5. किनिर– प्यारा केरके'ट्टा
6. घोल मोलोय अगस्त
7. लोटा' डा' – मेरी एस. सोरेङ
8. नेडा' साड़ा
9. बेताङ
10. आदिबासी अम' कहनी

<u>खण्ड 'ग'</u>

<u>खड़िया गद्य साहित्य</u>

(1) लोक कथा :– (दस लोककथाएँ) – अनुष्ठान संबंधी कथाएँ, हास्य–व्यंग्यपूर्ण कथाएँ, अलौकिक तत्वों से युक्त कथाएँ, पशु–पक्षी संबंधी कथाएँ, सामाजिक कथाएँ तथा परी कथाएँ।

(1) सुगी ओडो' मुनी
(2) कुली बूढ़ी
(3) ढेला रो उल'
(4) कोन्होर रो लोङगोय
(5) टेटेटोहों'ज
(6) साँखी रो कोइली
(7) कोनजो' के'ढिङ
(8) चुटिया रो केंडो'ड
(9) कुरकुर से बेइचडोम
(10) लिटिया ओडो' चुटिया

(2) **शिष्ट कहानी (आधुनिक कहानियाँ)** :–

(1) मोञ बिता ला'ज – प्रो० मेरी एस० सोरेङ
(2) लूर धो' मसटर – सु० पतरस बा'
(3) बोरजा' – प्रो. मेरी एस० सोरेङ
(4) बुधवा' कोरमो – सु. पतरस बा'
(5) महाकिमिन – सु. कुमार बा'
(6) जिनगी उम बोनेता बायना होयता – सु. जुएल सोरेङ
(7) राजा बेटा' बराकाईत – श्री जुलिमुस बा'
(8) इना सुग्गी उम तोरो'ताम – रोज टेटे

(3) खड़िया नाटक :– सिलिम खोड़ी या' सोमरा – इलियस बा'

(4) साहित्यिक निबंध :–

(1) प्यारा केरकेट्टा
(2) जुलियुस बा'
(3) डॉ० रोज केरके'ट्टा
(4) डॉ० माथियस डुङडुङ
(5) डॉ० जोवा किम डुङडुङ
(6) डॉ० आर. पी. साहू
(7) डॉ० अनिल वीरेन्द्र कुल्लू
(8) डॉ० मेरी एस. सोरेङ

Odia Language and Literature

1. Grammar :-

Barna, Shabdagathana, Linga, Bachana, Karaka, Bibhakti, Sandhi, Samasa, Yugma Shabda, Bhinnarthaka Shabda, Anekarthaka Shabda, Biparitarthaka Shabda, Krudanta, Taddhita O Chhanda, Alankara.

2. Bhasha Bhaga :-

A. Bhasha
B. Upabhasha
C. Bhasha Parivartanara Karana O Diga
D. Dhwoni Parivartanara Karana O Diga
E. Artha Parivartanara Karana O Diga

3. Padya Bhaga :-

A. Loka Geeta (Doli Geeta, Karama Geeta, Tusu Geeta, Bibaha Geeta O Kandana Geeta)
B. Shrimad Bhagbat - Jagannath Das
C. Rasakallola - Dinakrushna Das
D. Tapaswini - Gangadhara Meher
E. Kishora Chandrananda Champu - Kabisurya Baladeva Rath
F. Kalijai - Godabarisha Mishra
G. Kara Kavita - Gopabandhu Das
H. Shriyachandaluni - Radhamohan Gadnayak

4. Gadya Bhaga :-

A. Loka Kahani (Rupakatha, Upakatha, Osha O Bratakatha, Pashupakhyira Katha)
B. Rebati - Fakir Mohan Senapati
C. Aneka Smita Hasa - Manoj Das
D. Chha Mana Atha Guntha - Fakir Mohan Senapati
E. Paraja - Gopinatha Mahanti
F. Konarka - Ashwini Kumar Ghosh
G. Ghara Sangsara - Rama Chandra Mishra
H. Abishkara - Manoranjan Das

पंचपरगनिया

खण्ड 'क'

व्याकरण :—वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द ।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

लोकगीतः—

1. पंचपरगनिया लोकगीत
2. लोकगीत की परिभाषा और महत्व
3. पंचपरगनिया लोकगीतों की विशेषताएँ
4. पंचपरगनिया लोकगीतों में भाव, रस, छंद और कला सुन्दरइ
5. पंचपरगनिया लोकगीतों में प्रकृति चित्रण
6. पंचपरगनिया करम गीतों के प्रकार
7. पंचपरगनिया विवाह गीतों का वर्गीकरण
8. पंचपरगनिया टुसू गीतों का वर्गीकरण
9. पंचपरगनिया विवाह गीतों का भाव सौन्दर्य
10. संहरइ गीतों का वर्गीकरण।

शिष्टगीत / कविताएँ—

1. सावन मास — सृष्टिधर महतो 'समीर'
2. झागड़ा — सृष्टिधर महतो 'समीर'
3. रावन बध — डॉ० चन्द्रमोहन महतो
4. जीवन पथेक फूल — परमानन्द महतो
5. जीवन पथेक फूल — राजकिशोर सिंह
6. बांबरा (कविता संग्रह) — दिनबंधु महतो एवं परमानन्द महतो
7. महुआ रस — सहोदर खंडित

खण्ड 'ग'

लोककथाः– पंचपरगनिया लोककथा, संपादक–परमानन्द महतो

1. करमा धरमा केर काथा
2. बारहा आर भालू
3. सतनाराइन काथा
4. जितुआ बरत केर काथा
5. बिएजरी आर पाँचपरी
6. ठकुआ आर भिखुआ
7. मामा–भगिना
8. बिन बापेक छुआ
9. पँठी सनी
10. चालाक बिलाइ

नाटकः–1. इंजत – राजकिशोर सिंह

शिष्टकहानीः– जदि एसन हतक हले का हतक– संतोष साहु 'प्रीतम'

साहित्यकारः–

1. ज्योतिलाल महादानी
2. परमानन्द महतो
3. राजकिशोर सिंह
4. सृष्टिधर महतो
5. संतोष साहु 'प्रीतम'
6. दीनबंधु महतो
7. चन्द्रमोहन महतो
8. करमचन्द अहीर

नागपुरी भाषा

खण्ड– 'क'

व्याकरण :– वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द ।

खण्ड– 'ख'

पद्य साहित्य

1. **नागपुरी भाषा के लोकगीत** :– लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, दस (10) विविध गीतों का अध्ययन।

1. संस्कार गीत – 03
2. पर्व–त्योहार गीत – 03
3. श्रम गीत – 01
4. बाल गीत – 01
5. ऋतु गीत – 01
6. सामान्य गीत – 01

2. शिष्ट गीत / कविताएँ :–

(क) कविताएँ

1. जागा–जागा – सी. डी. सिंह
2. बिरसा तोर इयाइद में – क्षितिज कुमार राय
3. नागपुरक भाइमन – भीम महतो
4. जेठ मास आति – भरत नायक
5. तुलसी आउर कैकटस – धरेन्द्र प्रवाही
6. तोर बेतरा में – गिरिधारी राम गौंझू 'गिरिराज'
7 नावाँ सालक नावाँ गीत – कुमारी बासन्ती
8. गाँव कर सांझ – पांडे रवीन्द्र नाथ राम
9 मुलुक भारत – अजीज अंसारी
10. जगत जननी – शकुन्तला मिश्र

(ख) गीत :–

1. पोड़िलो बरखा ऋतु – रघुनाथ नृपति
2. छोड़ु कपटी माया – बरजु राम
1. पापी प्राण छुटे नहीं झट के – महंत घांसी
4. ठरू दाता दिगम्बर – घासी राम
5 उमड़ि गगन घन घमंड – कवि कंचन
6 अरजुन कहत बियारी – जगनिवास नारायण तिवारी
7. संवत पैंसठी साल – दृगपाल राम देवघरिया
8. कड़कि उठलक तलवारी – प्रफुल्ल कुमार राय
9. सावन घटा – नईमउद्दीन मिरदाहा
10. आजादी खातिर – रणविजय नाथ शाहदेव

खण्ड– 'ग'

गद्य साहित्य

1. **नागपुरी लोककथाः**– नागपुरी भाषा की कोई दस (10) लोककथाएँः–

1. कंगन आउर चुरी
2. भाइग कर खेइल
3. टुसुट भेंडा
4. मयना आउर बुट
5. बेलमइत रानी
6. कमल आउर केतकी
7. चोचा चरइ आउर राजा
8. छोटकी रानी
9. बनहरिनी कर बेटा
10. बिन्दुलिया रानी

2. **शिष्ट कथाएँः**– नागपुरी भाषा की आठ आधुनिक कहानियाँः–

1. एक चकता रउद – प्रफुल्ल कुमार राय
2. बिंझिया – शारदा प्रसाद शर्मा
3. रद्दी कागज – डॉ. बी.पी. केशरी
4. क्रिसमस कर सांझ – डॉ. कुमारी बसन्ती
5. भोटांग डहर – पंचम साहु
6. मनपुरन – रणविजय नाथ शाहदेव
7. भाइग – प्रमोद कुमार राय
8. मांदी – डॉ. उमेश नंद तिवारी

3. **नाटक** – ठाकुर विश्वनाथ साही – डॉ. विसेश्वर प्रसाद केशरी

4. **साहित्यिक निबंध** :– नागपुरी भाषा के किन्हीं आठ (8) साहित्यकारों का जीवन–परिचय एवं उनकी कृत्तियों का अध्ययनः–

नागपुरी के साहित्यिक निबंध

1. प्रफुल्ल कुमार राय
2. मृत्युंजय नाथ शर्मा
3. कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा
4. सहनी उपेन्द्र पाल नहन
5. डॉ. बी.पी. केशरी
6. नईमउद्दीन मिरदाहा
7. डॉ. गिरिधारी राम गौंझू 'गिरिराज'
8. डॉ. कुमारी वासंती

कुरमाली

खण्ड 'क'

व्याकरणः– वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, ऊनार्थक शब्द।

खण्ड 'ख'

गद्य साहित्य

1. **लोककथा :–**

(1) बांदना (सेंहरेइ परब)

(2) टसर राजा

(3) निसारथि के भगवान सारथि

(4) साधन

(5) लिलुक कसनि

(6) माछेक हांसी

(7) पुइतू

(8) सियारेक मांदेइर

(9) राजा घारे बिहा

(10) धीरजे कारज सिद्ध

2. **आधुनिक कहानी –**

(1) छटपटी – बसंत कुमार मेहता

(2) बानछा – डॉ० एच० एन० सिंह

(3) दिसा – निरंजन माहतअ

(4) ढेंकि सांप – सुनिल माहतअ

(5) धखा – अनन्त माहतअ

(6) धनेक गरब – डॉ० एच० एन० सिंह

(7) मकरी – डॉ० एच० एन० सिंह

(8) गाछ भगवान – डॉ० एच० एन० सिंह

3. नाटक – केरिआ बहु– कालिपद महतो

4. साहित्यकारः– डॉ0 नन्द्र किशोर सिंह, लखीकान्त महतो, केशव चन्द्र महतो, बसन्त कुमार मेहता, अनन्त महतो, डॉ० मानसिंह महतो, खुदी राम महतो, डॉ० हरदेव नारायण सिंह।

खण्ड 'ग'

पद्य साहित्य

1. लोकगीतः— लोकगीत की परिभाषा, कुरमाली लोकगीतों का वर्गीकरण कुरमाली लोकगीत — विवाहगीत, डमकच, उधवागीत, ढपगीत डांइड़धरा गीत (पांतागीत), करम, एढ़ेइया, बादंना (सोहराई) खेलगीत, बालगीत (छवा भुला गीत)

2. शिष्ट गीत :—

(1) "जे विधि जनम देला, ताहा के बिसरी गेला।''

(2) "सयने सपने देखी, पलके ना परे आँखी।''

(3) ''रितु बंसत भेल, मर पिया काहां गेल।''

(4) ''लाल कमल दहे, फूल माला उपजये।''

(5) "वृन्दावने फुटीगेला, नाना जाति फूल गो।''

(6) ''भादर मासे सैंया मर पड़ली बेजार, झमें नाचब कइसे।''

(7) ''सुइया मुही बुढ़ियांइ, जीवने सांतावली गो।" — भीमचरण

(8) "पिया पिया जातिया, बरसा बिती गेल रे।" — बाउलदास

(9) ''आवल माधव बहे मन्द पवनवा।''—तुलसीदास

(10) ''आवल बरिसा हित, हुदकी उठल चित्त।''

आधुनिक कविताएँ :

(1) उड़ीस

(2) जागरण

(3) गनति

(4) एकटा गाछे दुइटि चेरेइ

(5) जाहाँक झांक तारि

(6) भगुआ पिंधाक तरहअ

(7) बिडुल

(8) बिसरिस ना मांइ

(9) धंधौरा

(10) तोंय कन

Urdu Language and Literature

(A)

I. ZABAAN (LANGUAGE)

(1) HINDUSTANI KA IRTIQA

(2) URDU ZABAAN KI PAIDAISH: NAZARYAAT AUR HAQAIQ KA JAIZA

(3) JHARKHAND KI QABAILI ELAAQAI ZABAANEN

(4) JHARKHAND MEN URDU

(B)

II. QAWAID (GRAMMAR)

(1) MUTRADIFAT, ISM MOSAGGHAR WA MOKABBAR

(2) SAABIQA WA LAAHIQA, ZARBUL MASL

(C)

III. **SHAYERY (POETRY)**

GHAZAL (1) ULTI HO GAYIN SAB TADBEEREN KUCHH NA DAWA NE KAAM KIYA (MEER)

(2) FAQEERANA AAYE SADA KAR CHALE (MEER)

(3) DILE NADAN TUJHE HUWA KIYA HAI (GHALIB)

(4) DAYAM PADA HUWA TERE DAR PER NAHIN HUN MAIN (GHALIB)

NAZM (5) LENIN KHUDA KE HUZOOR MEN (IQBAL)

(6) EK AARZOO (IQBAL)

(7) NISAR MAIN TERI GALIYON KE AYE WATAN KE JAHAN (FAIZ)

(8) MUJH SE PAHLI SI MOHABBAT MERI MAHBOOB NA MANG (FAIZ)

(D)

III. **NASR (PROSE)**

NOVEL (1) FIRE AREA (ILYAS AHMAD GADDI)

AFSANA (2) PARINDA PAKADNE WALI GADI (GHAYAS AHMAD GADDI)

(3) NIRVAAN (ZAKI ANWAR)

(4) MRS. JOHN (SHEEN AKHTAR)

खोरठा भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरणः– खोरठा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द ।

खण्ड– 'ख'
पद्य साहित्य

1. **खोरठा भाषा के लोकगीत** :– लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, दस (10) विविध गीतों का अध्ययन।

1. संस्कार गीत (विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत) –03
2. पर्व–त्योहार गीत (करम गीत –2, सोहराइ गीत– 1)–03
3. श्रम गीत –01
4. बाल गीत –01
5. ऋतु गीत –01

6 सामान्य गीत –01

2. **शिष्ट गीत/कविताएँ** :– खोरठा भाषा की दस (10) प्रतिनिधि कविताएँ एवं दस (10) गीत

(क) **कविताएँ** – एक पथिया डोंगल महुआ" (संकलन/संपादक– संतोष कुमार महतो) से प्रथम दस (10) कविताएँ।

(ख) गीत :–

1. माँदइर बाजे रे, बाँसी बाजे रे – सुकुमार
2. बोने पाकलइ सयाँ कोइर – दिनेश दिनमणि
3. सोहान लागे रे – शांति भारत
4. कते सुंदर छोटानागपुर – दीपक सवाल
5. हामर भारत महान – अम्बुज कुमार
6. मिली के रहिहा – प्रदीप कुमार दीपक
7. साँझे हाँसइ झींगा फूल – महेन्द्र नाथ गोस्वामी
8. बोन रक्षा जीवन रक्षा – अनीता कुमारी
9. सेंवातिक बाउँड़ी मेला – सुभद्रा कुमारी
10. जय माँय जननी – शिवनाथ प्रमाणिक

खण्ड– 'ग'
गद्य साहित्य

1. **लोककथा** :– खोरठा भाषा की दस (10) लोककथाएँ:–

    1. सात भाय एक बहिन
    2. धनेक धधइनी
    3. बुढ़ा बुढ़ी आर सात पीठा
    4. गुदपुचु रानी आर कउआ
    5. गोहाइल परब
    6. बुढ़ी आर ओकर नाती
    7. दू बिहाक दुरगति
    8. केतकी फूल
    9. लुइरगर बेटी छउआ
    10. खुँटा भितर चिंयाँ गोटा

2. **शिष्ट कहानी** :– खोरठा भाषा की आठ आधुनिक कहानियाँ :–

1. छाँहइर	2 बोनेक लोर
3. हाम जीयब कइसें	4. नावा जिमीदार
5. उबार	6 जिनगिक डोंआनी
7. ओद दीदा	8. हुब

3. **नाटक** – चाभी–काठी, लेखक – श्रीनिवास पानुरी

4. **साहित्यिक निबंध** :– आठ (8) साहित्यिक निबंध

    1. भाइ–बहिन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम (निबंध)

    2 फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता (निबंध)

5. **निम्नलिखित खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध** :–

    भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधी 'राज', विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो 'श्याम'

हो भाषा

खण्ड 'क'

व्याकरणः—वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द।

खण्ड 'ख'

पद्य साहित्य

शिष्ट गीत

(1) तेतेः चन्दु
(2) गोलनचि बा
(3) अबुअ झारखण्ड
(4) लको बोदरा
(5) सिंगि
(6) हर्ताहसा
(7) जोनोम दिसुम
(8) दुल सुनुम जुलो चा
(9) अबुआ नमा भारत
(10) दिसुम लगिड़्

कविताएंः—

(1) गुसिया — बागुन बोदरा
(2) होयो गमा — पूर्णचन्द्र बिरुवा
(3) जिबनान बाड़ा — मदन बानरा
(4) हुदा समाज — सोनेया कुमार तियु
(5) जिबोन — नीरज जगमोहन सिंकु "चिनगारी"
(6) राष्ट्रीय पर्व
(7) जाति अन्डो दिसुम लगिङ
(8) हर्ताहसा रे टोंयोल
(9) अले जीबोन रे
(10) नबु दिसुम रे

अपनी भाषा के लोकगीत —

— लोकगीत की परिभाषा

— अपनी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण

लोकगीत (विविध) 10 गीत (मागे गीत 3, बा गीत 4, विवाह गीत 3)

खण्ड 'ग'

गद्य साहित्य

1. लोककथा–

(1) डोंडा हो
(2) इचः बा
(3) कुला ओन्डोः बर्रान्ड
(4) काः ओन्डोः रमिया गरोवा
(5) हो ओन्डोः सेता
(6) काना दादा
(7) हपानुम
(8) केपरा तुयु

2. शिष्ट कहानी –

(1) मेंजारि – प्रिति तियु
(2) डडु चनटु – दमयन्ती पिंगुवा
(3) सीनी ओन्डोः अयः अपसराय किंग
(4) चम्पु ओन्डो दोसमा
(5) लोदे काका
(6) सेंया होरा
(7) सरजोम सकम (प्रदीप कुमार बोदरा)
(8) हरावयन रयो दइयना

3. नाटक – षार होरा भाग –2

4. साहित्यहिक निबंधः–

(1) सामू चरण तुबिड
(2) डॉ० देवेन्द्र नाथ सिंकु
(3) डॉ० जानुम सिंह सोय
(4) घनश्याम गागराई
(5) चन्द्र मोहन पाट पिंगुवा
(6) डॉ0 दमयन्ती सिंकु
(7) डोबरो बुड़िउली
(8) डॉ0 प्रदीप कुमार बोदरा

<u>मुण्डारी भाषा</u>

<u>खण्ड 'क'</u>

व्याकरणः– वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द।

<u>खण्ड 'ख'</u>

पद्य साहित्य

1. **लोकगीतः–** **i.**लोकगीतों की परिभाषा, लोकगीतों का वर्गीकरण

ii. लोकगीत– 'बासुरी बज रही' पुस्तक से गीत सं0–11, 13, 214, 167, 349

–'अनायुम दुराङ' पुस्तक से गीत सं0–101, 104, 231, 252, 370

2. **शिष्टगीत/कविताएँः–** –'हिसिर पुस्तक से गीत सं0–68, 77

–'सेलेद' पुस्तक से गीत स०– 1, 4

–बम्बरू पुस्तक से गीत सं0 – 3, 4

–ससं बा पुस्तक से गीत सं०– 56, 61

–सुड़ा संगेन पुस्तक से गीत सं०– 13

–मनोवा–मनोवा रे बिनगा बनोःअ

<u>खण्ड 'ग'</u>

<u>गद्य साहित्य</u>

1. **लोककथाः–**

1 बा नेग

2. कराम कानि

3. सोराइ

4. लीमन आद् रागोसा

5. होनः चतुर

6 गाड़ीअः सोंगोति

7. देशेपुती राजा

8 ए हगेया कोवः होन मिसी ''पिरी''

9. मेद आद् सोना दिदि

10 गुपिन कोवः बा

2. **शिष्ट कहानी–**

1. कुलाए कोअः बलाए
2. बिर होनाः नावा इनुङ
3. संदु आर बिंदि
4. बुरू कुला सेंदेरा
5 बिरसा जिमिदार कोअःए जगर एटेः जदा
6. रइगड़ा सअः एते एरे को अउजदा
7. बिरसा सिदा सिदाए सबोः तना
8 पिड़ियुद चेंड़े तुदका रेए उकुः जन रअ कानि

3. **नाटक–** मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा

4. **साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियाँः**

1. बुद्ध बाबु
2. काशीनाथ सिंह मुण्डा 'काण्डे'
3. डॉ० रामदयाल मुण्डा
4. डॉ0 मनमसीह मुण्डू
5. भैयाराम मुण्डा
6. डॉ0 एस. ए. बी. डी. हंस
7. डॉ0 मनसिद्ध बड़ायऊद
8. मेनास ओड़ेया

बांगला भाषा

1. GRAMMAR : KARAK, BIBHAKTI, EK BAKYA PRAKASH

POETRY: **A.) SANCHAITA** **: Rabindranath Thakur**

- Parash Pathar
- Ebar Firao More
- Aamar Matha Nato Kore
- Balaka
- Eaikyataan

B.) MADHUKARI (EDITED BY KALIDAS ROY)

a) Era Jadi Jane	-	Kamini Roy
b) Jiban Bandana	-	Kaji Najrul Islam
c) Aar Kichhu nahi Sadh	-	Budhadev Basu
d) Purano Kagojer Feriwala	-	Premendra Mitra
e) Hat	-	Jatindranath Sen Gupta (Kabita Sankalan)

PROSE:

a) Krishnakanter will	-	Bankim Chandra Chattopadhyay
b) Pather Panchali	-	Bibhuti Bhushan Bandopadhyay
c) Mukut (Drama)	-	Rabindranath Thakur
d) Sajano Bagan (Drama)	-	Manoj Mitra
e) Sahityer Rup O Reeti:		

Mahakabya, Geetikabya, Tragedy, Comedy.

Literary Essay:-

1. Micheal Madhu Sudan Dutta
2. Bankim Chandra Chattopadhyay
3. Rabindranath Thakur
4. Sharat Chandra Chattopadhyay
5. Kaji Nazrul Islam
6. Bibhuti Bhushan Bandopadhyay
7. Tarashankar Bandopadhyay
8. Jibonanando Das

कुँड़ुख

खण्ड–क

कत्थअइनः– तोडन अख़'आ, पिंञ्जका, उइजी पिंञ्जका, मेःद, गनया, ननतु'उद, गुणख़ी, परिया, ननना (नलङ), समका, अव्यय, वाच्य, बकपून ही ड़ाड़ा, बिड़दो बक्क, संगी बक्क।

खण्ड –ख

पद्य साहित्य

1) **डंडी** – डंडी ही बकसोर, डंडी घी डाड़ा, बेंजा डंडी, करम डंडी, ख़द्दी डंडी, असारी डंडी, धुड़िया डंडी, जदुरा डंडी, जतरा डंडी, लुझकी डंडी, तोःकना डंडी, जेठ्ठे डंडी।

2) **कत्थडंडी** :

टीप :

1) परिदका जातियर	6) जिया ख़ोदख़र'ई
2) असारी करम	7) छोटानागपुर
3) अचरन ची अयंग	8) ख़ेख़ेल ख़जंपा
4) ख़ेख़लन कम'आ सोना	9) जूःड़ी
5) अड़खा–चेख़ेल	10) नीन जूःडी

खण्ड –ग

गद्य साहित्य

1) **ख़ीरी** :

टीपः

1) असुरर दरा लोधरर	(6) पुरखर गहि कुंडी
2) कुँड़खर गहि रूइदास ती भोंगना	7) चन्दो अरा बीःड़ी
3) मुन्धता कुँड़खर गहि ख़ीरी	8) मानी गहि दिन जीत मनी
4) चिच्च–चेंप	9) कुँड़खर गहि नेग धरम
5) करमस अरा धरमस	(10) लूर मलका देवान

2) **कत्थ ख़ीरी** :

टीप :

1) अंजेला	(5) झरियो मला झरना
2) पचगी परिया	6) ठक'उर उन्दुल ठकरनर
3) कुकोय बरात	7) उढ़ारी
4) लॉटरी	8) सक्क

3) **लीला (नाटक)**

4) **कत्थपंडी कत्थटूड**

उराँव साहित्यकार–

• डॉ० निर्मल मिंज	• डॉ० हरि उराँव	• दवले कुजूर	• अहलाद तिर्की
• इन्द्रजीत उराँव	• बिहारी लकड़ा	• बेचन उराँव	• पी०सी० बेक

हिन्दी

1. भाषा

हिन्दी की उत्पत्ति

पुरानी हिन्दी अवहट्ट

डिंगल

भाषा के विभिन्न रूप :– रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, संचार भाषा।

हिन्दी का शब्द भंडारः– तत्सम्, तद्भव, देशज, विदेशज।

भाषा विज्ञान :– भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन।

साहित्य सिद्धान्त :– काव्य–लक्षण, काव्य–हेतु, काव्य–प्रयोजन, शब्द–शक्ति, रस, छंद, अंलकार।

पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्तः–प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आइ0ए0 रिचर्ड्स, टी0एस, इलियट के सिद्धान्त।

प्रयोजनमूलक हिन्दी :– अवधारणा, प्रशासनिक हिन्दी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन।

2. साहित्य

(क) काव्य

निर्धारित कवि– विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण।

(ख) काव्य वीथि

निर्धारित कवि– भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल।

3. उपन्यास

क. गोदान – प्रेमचन्द।

ख. मैला आँचल – फणीश्वर नाथ रेणु।

ग. रागदरबारी – श्रीलाल शुक्ल।

4. <u>कहानियाँ</u>

क. मधुआ – जयशंकर प्रसाद

ख. ठाकुर का कुआँ – प्रेमचन्द

ग. नीलम देश की राजकन्या– जैनेन्द्र कुमार

घ. परिन्दे – निर्मल वर्मा

ड. दिल्ली में एक मौत– कमलेश्वर

च. वापसी – उषा प्रियवंदा

छ. अभिशप्त – यशपाल

ज. मिसपाल – मोहन राकेश

5. <u>नाटक</u>

क. भारत–दुदर्शा– भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

ख. ध्रुव स्वामिनी– जयशंकर प्रसाद

ग. आधे– अधूरे– मोहन राकेश

<u>हिन्दी साहित्य का इतिहास–</u>

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास– रामचन्द्र शुक्ल
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास– सं0 डॉ0 नागेन्द्र

व्याकरण :– संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे।

English Language and Literature

1. Language

I. Error Recognition

II. Fill in the Blanks

III. Vocabulary

IV. Spellings

V. Grammar- Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb Agreement, Interchangeability of noun and Verb, Gerund, Participle, Infinitive, Adverb, tense, Clause, Transformation, Narration, Voice, Preposition.

VI. Sentence Structure

VII. Synonyms

VIII. Antonyms

IX. Sentence Completion

X. Idioms & Phrases

XI. Comprehension Passage etc.

2. Literature

- **Novel-** Old man and the Sea- Earnest Hemingway; The Painter of signs- R.K. Narayan; The Power and the Glory- Graham Greene; Fasting, Feasting- Anita Desai

- **Drama-** The Tempest- William Shakespeare; Dr. Faustus- Christopher Marlowe; Final Solutions- Mahesh Dattani, Hayavadana- Girish Karnard.

- **Poetry-** Sonnet-29- William Shakespeare; The Rainbow- William Wordsworth; The Traveller- Walter De La Mare; Lead Kindly Light- Cardinal Newman; the Splendour Falls- Alfred Lord Tennyson; Ode to a Nightiangle - John Keats; The Hollow Men- T.s. Eliot; Telephone conversation- Wole soyinka; A River- A.K. Ramanujan

- **Short Stories**- A Snake in the Grass- R.K. Narayan; The Castaway- Rabindranath Tagore; The man of the House- Frank O'Connor; The Flood- Kamala Markandaya; The country of the Blind- H.G. Wells; The basement Room- Graham Greene.
- **Essay-** Voluntary Poverty- M.K. Gandhi; Discipline for Daily Life- Lewis Mumford; The Civilization of To-day- C.E.M. Joad; Letter to a Teacher- Nora Rossi and Tom Cole (Trans.); Kamala Nehru- Jawaharlal Nehru.
- **History of the English Language** : A History of English Lanaguage- A.C. Baugh, Origins of the English Language- Joseph Willies.
- **Phonetics** - A Text Book of English Phonetics for Indian students- Balasubramaniam, A Course in Phonetics - P. Ladefoged.

<u>संस्कृत भाषा</u>

1. भाषा विज्ञान,

2. संस्कृत साहित्य का इतिहास,

3. वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद्)

4. वेदाङ्ग, (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, ज्योतिष और छनद)

5. व्याकरण – स्वर–व्यंजन, वर्ण, स्वर, ध्वनि, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कृत् प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सन्धि, समास तथा वाक्य रचना पर आधारित होंगे।

पूर्वमेध (कालिदास), उत्तररामचरित (भवभूति), अभिज्ञान शाकुन्तलम् (चतुर्थ अंक), कादम्बरी (शुक नाशोपदेश), भिक्षुपाल वद्य (प्रथम सर्ग), किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग) तथा शिवराज विजय ग्रन्थों से भी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

<u>शब्द रूप निम्न शब्दों के (सातों विभक्तियों में)</u>

बालक, लता, नदी, मुनि, गुणिन्, साधु, भवत्, अस्मद्, युस्मद्, तत् (तीनों लिङ्गों में), सर्व, युवती, लेखनी, रेणु, पयस्, वस्तु तथा आत्मन्।

<u>धातु रूप (लट्, लोट्, विधि लिङ्ग, लङ् तथा लृट् लकारों में)</u>

पठ्, गम्, दृश्, पा्, हन्, भू, अस्, नृत्, लिख्, दिश्, मुच्, स्था्, यच्छ्, शच्, तथा अर्च्।

परिशिष्ट–XIII

तकनीकी / विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम

मनोविज्ञान (Psychology)

i. मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र (The Scope of Psychology)– सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान।

ii. मनोविज्ञान की पद्धतियाँ (Methods of Psychology)- मनोविज्ञान की प्रणालीतंत्रीय समस्याएँ मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का सामान्य, अभिकल्प। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएँ।

iii. मानव व्यवहार की प्रकृति, उद्गम और विकास (The nature origin and development of human behaviour)- आनुवंशिकता तथा पर्यावरण, सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार समाजीकरण की प्रक्रिया, राष्ट्रीय चरित्र की संकल्पना।

iv. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ (Cognitive Processess)- प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान के सि़द्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन, व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रात्यज्ञिक रक्षा, प्रत्यक्षन ज्ञान का कार्यात्मक उपागम, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व, आकृति अनुप्रभाव, प्रत्यक्ष ज्ञान शैली प्रात्यक्षिक अपसामान्य, सतर्कता।

v. अधिगम (Learning)– संज्ञानात्मक, क्रिया प्रसूत तथा क्लासिकल अनुकूलन उपागम, अधिगम परिघटना विलोप, विभेद और सामान्यकरण, विभेद अभिगत, प्राथमिकता अधिगम, प्रागामिक अधिगम।

vi. स्मरण (Remembering)– स्मरण के सिद्धांत अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, स्मृति का मापन, विस्मरण, संस्मृति।

vii. चिन्तन (Thinking)– समस्या समाधान, संकल्पना, निर्माण, संकल्पना निर्माण का रचना कौशल, सूचना प्रक्रिया, सर्गनात्मक चिन्तन, अभिसारी तथा उपासारी चिन्तन, बालकों में चिन्तन के विकास के सिद्धांत।

viii. बुद्धि (Intelligence)– बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि का मापन, सृजनात्मकता का मापन, अभिक्षमता का मापन, सामाजिक बुद्धि की संकल्पता।

ix. अभिप्रेरण (Motivation)- अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएँ, अभिप्रेरण के उपागम, मनोविश्लेशी सिद्धांत, अन्तर्नोद सिद्धांत, आवश्यकता अभिक्रम सिद्धांत, संदेश कर्षण शक्ति उपागम, अकांक्षा स्तर की संकल्पना, अभिप्रेरण के मापन, विरक्त तथा विमुख व्यष्टि, प्रेरक।

x. व्यक्तित्व (Personility)– व्यक्तित्व की संकल्पना, विशेषक और प्रकार उपागम कारकीय तथा आयामीय उपागम, व्यक्तित्व के सिद्धांत फ्राड, अलपोर्ट मूरे, केटल, सामाजिक अभिगम सिद्धांत तथा

क्षेत्र सिद्धांत, व्यक्तित्व के भारतीय उपागम गुणों की संकल्पना, व्यक्तित्व मापन, प्रश्नवली निर्धारण मापनी, मनोविज्ञान परीक्षण, प्रक्षेमी परीक्षण प्रेक्षण प्रणाली।

xi. भाषा और संप्रेषण (Langauge and Communication)– भाषा का मनोवैज्ञानिक आधार, भाषा विकास के सिद्धांत स्किनर और चमिस्को, अव्शाश्दिक, सम्प्रेषण, कार्यभाष प्रभावी संप्रेषण स्त्रोत और ग्रहीता की विशेषताएँ, अनुभवी संप्रेषण।

xii. अभिवृत्तियाँ और मूल्य (Attitudes and Values)– अभिवृत्तियों की संरचना, अभिवृत्तियों की बनावट, अभिवृत्तियों के सिद्धांत, अभिवृतिय मापन, अभिवृत्ति मापनी के प्रकार, अभिवृत्त परिवर्तनक का सिद्धांत, मूल्य, मूल्यों के प्रकार, मूल्यों के अभिप्रेरणीय गुणनर्म, मूल्यों का मापन।

xiii. अभिनव प्रवृत्तियाँ (Recent Trends)– मनोविज्ञान और कम्प्युटर, व्यवस्कर का संतात्रिकी मॉडल, मनोविज्ञान में अनुरुपता अध्ययन, चेतना का अध्ययन, चेतना की परिवर्त्तित स्थितियाँ, निद्रा, स्वप्न, ध्यान और सम्मोहन आत्माविस्मृति, मादक द्रव्य उत्प्रेरित परिवर्त्तन संवेदन वंचन, विमानन और अंतरिक्ष उड़ान में मानव समस्याएँ।

xiv. मानव के मॉडल (Models of Man)– यांत्रिक मानव, जैविक मानक, संगठनात्मक मानव मानवतावादी मानव, व्यवहार परिवर्त्तन के विभिन्न प्रतिरुपों के निहितार्थ, एक एकीकृत प्रतिरुप।

xv. व्यक्तिगत विभिन्नताएँ (Individual Difference)– व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण, अच्छे मनौवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएँ, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सीमाएँ।

xvi. मनोवैज्ञानिक विकार (Psychological Approaches)– विकारों का वर्गीकरण तथा रोग वर्गीकरण प्रणालियाँ, तांत्रिका, तापीय, मनस्तापी और मनोदैहिक विकास, मनोविकृत व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक विकारों के सिद्धांत, चिन्ता अवसाद तथा खिंचाव की समस्या।

xvii. चिकित्सात्मक उपागम (Therapeutic Approaches)– मनोगतिक उपागम, व्यवहार चिकित्सा, रोग केन्द्रिक चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, समूह चिकित्सा।

xviii. संगठनात्मक तथा औद्योगिक समस्याओं में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग वैयक्तिक चयन, प्रशिक्षण, कार्य अभिप्रेरण, सिद्धांत कृत्य अभिकल्पन, नेतृत्व प्रशिक्षण, सदभागी प्रबंध।

xix. लघु समूह (Small Groups)- लघु समूह के संकल्पना, समूह के गुणधर्म, कार्यरत समूह, समूह व्यवहार के सिद्धांत, समूह व्यवहार की मापक अन्तक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण, अन्तव्यक्ति सम्बंध।

xx. सामाजिक परिवर्त्तन (Social Change)– समाज परिवर्त्तन की विशेषताएँ, परिवर्त्तन में मनोवैज्ञानिक आधार परिवर्त्तन प्रतिरोध प्रतिरोधिक कारक प्रतिवर्त्तन प्रायोजन परिवर्त्तन प्रवणता की संकल्पना।

xxi. मनोविज्ञान तथा अधिगम प्रक्रिया (Psychology and Learning Process)– शिक्षार्थी समाजीकरण के कर्त्ता के रुप में विद्यालय, अधिगम स्थितियों में किशोरों से संबंधित प्रतिभाशाली और संदित बालक तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएँ।

xxii. सुविधावंचित समूह (Disadvantage groups)– प्रकार : सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सुविधावंचन के मनावैज्ञानिक फल वंचन की संकल्पना, सुविधावंचित समूहों की शिक्षा, सुविधा वंचित समूहों के अभिप्रेरण की समस्याएँ।

xxiii. मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समस्या (Pshchology and Problem of Social Intergration)- सजातीय पुर्वग्रह की समस्या, पुर्वग्रह की प्रकृति, पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति, पूर्वग्रह का विकास, पूर्वग्रह का मापन, पूर्वग्रह का सुधार, पूर्वग्रह और व्यक्तित्व, सामाजिक एकीकरण के उपाय।

xxiv. मनोविज्ञान तथा आर्थिक विकास (Psychology and Economic Developments) – उपलब्धि अभिप्रेरण की प्रकृति, उपलब्धि अभिप्रेरण, उद्यमशीलनता संवर्द्धन उद्यमशीलनता संरक्षण प्रौद्योगिकीय परिवर्त्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव।

xxv. सूचना का प्रबंध और संरचन (Management of Information and Communication) - सूचना प्रबंध में मनोवैज्ञानिक कारक, सूचना अतिभार, प्रभावी संचरण के मनोवैज्ञानिक आधार जन संचार और सामाजिक मे उनकी भूमिका दूरदर्शन का प्रभाव, प्रभावी विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक आधार।

xxvi. समकालीन समाज की समस्याएँ (Problems of Contemporary Society)– खिंचाव, खिचांव का प्रबंध, मद्यव्यसनता तथा मादक द्रव्य व्यसन सामाजिक विसामान्य, किशोर अपचार अपराध विसामान्य का पुनः स्थापन वयोदृद्धों की समस्याएँ।

समाजशास्त्र (SOCIOLOGY)

i. सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन (Scientific Study of Social Phenomena)–समाजशास्त्र का आविर्भाव, अन्य शिक्षा शाखाओं से इसका संबंध, उनका क्षेत्र विस्तार एवं संबंधी धारणायें विज्ञान और सामाजिक व्यवहार का अध्यन यथार्थता, विश्वसनीयता एवं समस्याएँ। वैज्ञानिक विधि एवं भाषा, उनका अर्थ उद्देश्य प्रकार तत्व एवं विशेषताएँ। सामाजिक अनुसंधान संरचना, तथ्य संकलन एवं तथ्य विश्लेषण की विधियाँ अभिवृत्ति मापन समस्याएँ एवं तकनीकि शैली (स्केल्स) : आर0 एम0 मेकाइवर की कार्य कारण अवधारणा।

ii. समाजशास्त्रके क्षेत्र में पथ–प्रदर्शक योगदान(Pioneering Contributions to Sociology)–सैद्धान्तिक प्रारंभ एवं विकासवाद के सिद्धांत– कॉम्ट, स्पेन्सर तथा मॉर्गनः ऐतिहासिक समाजशात्र– कार्ल मार्क्स, मैक्स बेबर एवं पी0ए0, सरोकिन : प्रकार्यवाद– ई0 दुरखेम, पैरेटो, पार्सन्स एवं मर्टन। संघर्षवादी सिद्धांत : गुमलोविज, डहरेनहार्फ एवं कोबर, समाजशास्त्र के आधुनिक विचारधाराएँ। सम्पूर्णालक एवं अल्पार्थक समाजशास्त्र, मध्यम स्तरीय सिद्धांत, विनिमय सिद्धांत।

iii. सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन (Social Structure and Social Organization)–अवधारणा एवं प्रकार, सामाजिक संरचना संबंधित विचारधाराएँ, संरचना प्रकार्यवादी मार्क्सवादी सिद्धांत, सामाजिक संरचना के तत्व, व्यक्ति एवं समाज, सामाजिक अन्तः क्रिया, सामाजिक समूह–अवधारणाएँ एवं प्रकार, सामाजिक स्तर एवं भूमिका, उनके निर्धारक एवं प्रकार, सरल समाजों में भूमिका के विभिन्न परिमाण, भूमिका संघर्ष, सामाजिक जाल, अवधारणा एवं प्रकार संस्कृति एवं व्यक्तित्व अनुरूपता एवं सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा। सामाजिक नियंत्रण के साधन, अल्पसंख्यक समूह बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक संबंध।

iv. सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता (Social Stratification and Mobility)- सामाजिक स्तरीकरण के अवधारणा, प्रभाव एवं प्रकार, असमानता एवं स्तरीकरण, स्तरीकरण के आधार एवं परिमाण, स्तरीकरण संबंधी विचारधााराएँ, प्रकार्यवाद एवं संघर्षवाद विचारधाराएँ, सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, गतिशीलता के प्रकार अन्तर्पिढ़ी गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता बनाम क्षैतिज गतिशीलता, गतिशीलता के प्रतिरूप।

v. परिवार, विवाह एवं नातेदारी (Family marriage and Kinship)–संरचना, प्रकार्य एवं प्रकार, समाजिक परिवर्तन एवं आयु एवं स्त्री–पुरुष भूमिकाओं में परिर्वतन, विवाह, परिवार एवं नातेदारी में परिवर्तन, प्राद्योगिक समाज में परिवार का महत्व।

vi. औपचारिक संगठन (Formal Organizations)–औपचारिक तथा अनऔपचारिक संगठनों के तत्व, नौकरशाही प्रकार्य अकार्य एवं विशेषताएँ नौकरशाही एवं राजनैतिक विकास, समाजिकरण एवं राजनैतिक सहभगिता, सहभागिता के विभिन्न रूप सहभागिता के लोकतंत्रिक तथा सत्तात्मक स्वरूप, स्वैच्छिक मण्डली।

vii. आर्थिक प्रणाली (Economic System)–सम्पत्ति की अवधारणाएँ, श्रम विभाजन के समाजिक प्रतिमाण, विनिमय के विभिन्न प्रकार, पूर्व औद्योगिक एवं औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के अर्थ–व्यवस्था का सामाजिक पक्ष, औद्योगिकरण तथा राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं स्तरविन्यासी क्षेत्रों में परिवर्त्तन, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व एवं उनके परिणाम।

viii. राजनीतिक व्यवस्था(Political System)–राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा, तत्व प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्य, राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत संस्थाएँ, व्यक्ति समूह, राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक दल एवं अन्य साधनों के संदर्भ में राजनीतिक प्रक्रियाएँ, शक्ति प्राधिकार एवं वैधता की अवधारणाएँ, आधार एवं प्रकार, राज्यविहीन समाज की परिकल्पना राजनीतिक सामाजिककरण बनाम राजनीतिक भागीदारी : राज्य की विशेषताएँः प्रजातंत्रात्मक एवं सत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत सम्भ्रान्त वर्ग एवं जनसमूह की शक्ति, राजनीतिक दल एवं मतदान, नायकत्व, प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं प्रजातांत्रिक स्थिरता।

ix. शैक्षिक प्रणाली (Educational System)– शिक्षा की अवधारणा के उद्देश्य, शिक्षा पर प्रकृतिवाद, आदर्शवाद एवं पाण्डित्यवाद के प्रभाव : समाज, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, प्रजातंत्र व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद के संदर्भ में शिक्षा का महत्त्व, शिक्षा के नये झुकाव, शिक्षा एवं सामाजिककरण में विभिन्न साधन–परिवार विद्यालय, समाज राज्य एवं धर्म की भूमिका। जनसंख्या शिक्षा–अवधारणा एवं तत्त्व। सांस्कृतिक पुनर्जन्म, सैद्धान्तिक मतारोपन, सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता एवं आधुनिकीकरण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका।

x. धर्म (Religion)–धार्मिक तथ्य, पावन एवं अपावन की अवधारणाएँ, धर्म का सामाजिक प्रकार्य एवं अकार्य, जादू–टोना धर्म एवं विज्ञान, धर्मनिरपेक्षीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन।

xi. सामाजिक परिवर्त्तन के विकास (Social Change and Development)– सामााजिक परिवर्त्तन के आर्थिक जैविक एवं प्राद्यौगिक कारक, सामाजिक परिवर्त्तन के विकासवादी, प्रकार्यवाद एवं संधर्षवाद सिद्धांत, सामाजिक परिवर्त्तन, आधुनिकीकरण एवं उन्नति प्रजातंत्रीकरण, समानता एवं सामाजिक न्याय : सामाजिक पुनर्निर्माण।

xii. भारतीय समाज (Indian Society)–पारम्परिक हिन्दु सामाजिक संगठन की विशेषताएँ; विभिन्न समय के समाजिक सांस्कृतिक परिवर्त्तन; भारतीय समाज पर बौद्ध, इस्लाम तथा आधुनिक पश्चिम का प्रभाव। निरन्तरता और परिवर्त्तन के कारक तत्व।

xiii. सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification)–जाति व्यवस्था एवं इसके रूपान्तरण, जाति के संदर्भ में आर्थिक संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक मत; जातिप्रथा की उत्पत्ति, हिन्दू एवं गैर हिन्दु जातियों में असमानता एवं सामाजिक न्याय की समस्याएँ। जाति गतिशीलता जातिवाद, पिछड़ी जाति बनाम पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अस्पृश्यता, अनुसचित जातियों में परिवर्त्तन, अस्पृश्यता का उन्मूलन; औद्योगिक एवं कृषि प्रधान समाज की संरचना; मंडल कमीशन एवं सुरक्षा नीति के अन्तर्गत झारखण्ड के अन्तर्जातीय सम्बन्धों के बदलते झुकाव।

xiv. परिवार विवाह एवं नातेदारी (Family Marriage and Kinship)–संगोत्रता व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधता एवं उनके सामाजिक सांस्कृतिक सह संबंध, संगोत्रता के बदलते पहलू, संयुक्त परिवार प्रणाली, इसका संरचनात्मक एवं व्यवहारिक पक्ष, इसके बदलते रूप एवं विघटन, विभिन्न नृजातिक समूहों आर्थिक एवं जाति वर्गों में विवाह, भविष्य में उनके बदलते प्रकृति, परिवार एवं विवाह पर कानून तथा सामाजिक–आर्थिक परिर्वत्तनों के बढ़ते पीढ़ि, अन्तराल एवं युवा असंतोष, महिलाओं की बदलती स्थिति, महिला एवं सामाजिक विकास। झारखण्ड में अन्तर्जातीय विवाह–कारण एवं परिणाम।

xv. आर्थिक प्रणाली (Economic System)–जजमानी व्यवस्था एवं पारम्परिक समाज पर उसका प्रभाव बाजार, अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परिणाम, व्यवसायिक विविधिकरण एवं सामाजिक संरचना, व्यवसायिक मजदूर संध, आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक तथा उनके परिणाम, आर्थिक असमानताएँ, शोषण और भ्रष्टाचार, झारखण्ड के आर्थिक पिछड़ापन के कारण, झारखण्ड के आर्थिक विकास की सम्भाव्यता, झारखण्ड के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक विकास के सह संबंध।

xvi. राजनीतिक व्यवस्था(Political System)–पारम्परिक समाज में प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्य, राजनीतिक दल एवं उनकी सामाजिक संरचना, राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्ग को उत्पत्ति एवं उनका सामाजिक लगाव, शक्ति का विकेन्द्रीकरण, राजनीतिक भागीदारी, झारखण्ड में मतदान का स्वरूप, झारखण्ड के मतदान प्रणाली में जाति समुदाय एवं आर्थिक कारकों की अनुरूपता, इसके बदलते आयाम, भारतीय नौकरशाही का प्रकार्य, अकार्य एवं विशेषता, भारत में नौकरशाही एवं राजनीतिक विकास, जनप्रभुसत्ता समाज, भारत में जन आन्दोलन के सामाजिक एवं राजनीतिक स्त्रोंत।

xvii. शिक्षा व्यवस्था (Educational System)– पारम्परिक एवं आधुनिक के संदर्भ में समाज एवं शिक्षा, शैक्षणिक असमानताएँ एवं परिवर्त्तन, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, महिलाओं के शिक्षा की समस्याएँ पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों, झारखण्ड में शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण, झारखण्ड में अनियोजित रूप से पनपते संस्थानों के प्रकार्य एवं अकार्य पक्ष। झारखण्ड में उच्च शिक्षा की समस्याएँ एवं सम्भावनाएँ, नई शिक्षा नीतियाँ, जन शिक्षा।

xviii. धर्म (Religion)–जनसंख्यात्मक परिमाण, भौगोलिक वितरण एवं पड़ोस, प्रमुख धार्मिक समुदायों के जीवन शैली, अर्न्तधार्मिक अन्तः क्रियाएँ एवं धर्मपरिवर्त्तन के रूप में इनका प्रकाशन, अल्पसंख्यक के स्तर, संचार एवं धर्मनिरपेक्षता, भारत के जाति व्यवस्था पर विभिन्न धार्मिक आंदोलनों – बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, ब्रह्मसमाज एवं आर्य समाज के आंदोलनों के प्रभाव, झारखण्ड में पश्चिमीकरण एवं आधुनिकरण, संयुक्तक एवं अलगाव संबंधी कारक, भारतीय सामाजिक संगठन पर धर्म एवं राजनीति के बढ़ते अन्तःक्रिया का प्रभाव।

xix. जनजाति समाज (Tribal Societies)–भारत के प्रमुख जनजातीय समुदाय, उनकी विशिष्ट विशेषताएँ, जनजाति एवं जाति, इनका सांस्कृतिक आदान–प्रदान एवं एकीकरण, झारखण्ड की जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएँ, जनजाति–कल्याण के विभिन्न विचारधाराएँ, उनके संवैधानिक एवं राजकीय सुरक्षा, भारत में जनजाति आन्दोलन, तानाभगत आन्दोलन, बिरसा आन्दोलन एवं झारखण्ड आन्दोलन, जनजाति के विकास में उनका महत्वपूर्ण स्थान।

xx. ग्रामीण समाज व्यवस्था एवं सामुदायिक विकास (Rural Social System and Community Development)– ग्रामीण समुदाय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम, पारम्परिक शक्ति संरचना, प्रजातांत्रकरण एवं नेतृत्व, गरीबी, ऋणाग्रस्तता एवं बंधुवा मजदूरी, भूमि सुधार के परिणाम, सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास कार्यक्रम तथा हरित क्रांति ग्रामीण विकास की नई नीतियाँ।

xxi. शहरी सामाजिक संगठन (Urban Social Organization)– सामाजिक संगठन के पारम्परिक कारकों, जैसे संगोत्रता जाति और धर्म की निरन्तरता एवं उनके परिवर्तन शहर के संदर्भ में; शहरी समुदायों में सामाजिक स्तरीयकरण एवं गतिशीलता; नृजातिक अनेकता एवं सामुदायिक एकीकरण, शहरी पड़ोसदारी, जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक–सांस्कृतिक लक्ष्यों में शहर तथा गांव में अन्तर तथा उनके सामाजिक परिणाम।

xxii. जनसंख्या गतिकी (Population dynamics)- जनसंख्या वृद्धि सम्बंधित सिद्धांत–माल्थस, जैविकीय, जनसांख्यिकीय परिवर्त्तन, सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या संरचना के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष (लिंग, उम्र, वैवाहिक स्तर), जन्मदर, मृत्युदर एवं स्थानान्तरण के कारक, भारत में जनसंख्या नीति की आवश्यकता जनाधिक एवं अन्य निर्धारक लक्ष्य, जनाधिक्य के मानसिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक निर्धारक एवं भारत में परिवार नियोजन प्रक्रिया के अस्वीकृति में इनकी भूमिका, प्रथम से अष्टम पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन कार्यक्रम का स्थान। जनसंख्या शिक्षा– अवधारणा, उद्देश्य, पक्ष, साधन एवं जनसंख्या शिक्षा की यंत्रकला।

xxiii. सामाजिक परिवर्त्तन एवं आधुनिकीकरण (Social Change and Modernisation)– भूमिका संघर्ष की समस्या, युवा असंतोष, पीढ़ियों का अन्तर, महिलाओं की बदलती स्थिति, सामाजिक परिवर्त्तन के प्रमुख स्त्रोत एवं परिवर्त्तन के प्रतिरोधी तत्वों के प्रमुख स्त्रोत, पश्चिमी का प्रभाव, सुधारवादी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, दबाव समूह, नियोजित परिवर्त्तन के तत्व, पंचवर्षीय योजनाएँ, विधायी एवं प्रशासकीय उपाय – परिवर्त्तन की प्रक्रिया–सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण के साधन, जनसम्पर्क साधन एवं शिक्षा, परिवर्त्तन एवं आधुनिकीकरण की समस्या, संरचनात्मक विसंगतियाँ और व्यवधान। वर्त्तमान सामाजिक दुर्गुण–भ्रष्टाचार और पक्षपात, तस्करी–कालाधन।

गृह विज्ञान (**Home Science**)

i. Basic concepts in food & nutrition and Nutrient

Basic terminologies, interrelationship of nutrient, nutrition and health, functions of food Physiological, psychological and social,

Nutrient's Functions, chemistry, dietary sources, properties and clinical manifestations of deficiency/ excess of the following:

- Energy, Carbohydrates, Lipids, Proteins and Fiber
- Fat soluble vitamins-A, D, E and K
- Water soluble vitamins - thiamin, riboflavin, niacin, pyridoxine, folate, vitamin B12 and vitamin C
- Minerals - calcium, phosphorus, iron, zinc, sodium, copper and iodine
- Water

ii. Methods of cooking, Food Groups & Principles of meal planning

Dry, moist, frying and microwave cooking, advantages and disadvantages, Nutrient losses, Enhancing the nutritional quality- Supplementation, Germination, Fermentation, Fortification and GM foods: Concept of balanced diet,

Structure, composition, Products, nutritional contribution, Selection and changes during cooking of the following food groups:

Cereals, Pulses, Fruits and vegetables, Milk & milk products, Eggs, Meat, poultry and fish, Fats and Oils, Spices and herbs, Beverages

Importance and Principles of Meal Planning

- Food exchange list
- Factors affecting meal planning and food related behavior
- Methods of assessment of nutrient requirements
- Dietary guidelines and Recommended Dietary Allowances for all groups of Indian Population

iii. Preservation techniques, Principles, their applications and Basic food microbiology High temperature, low temperature, Removal of moisture, Irradiation and ad laities.

- Food packaging and labeling: FSSAI, Codex X :
- Introduction to yeast, mold and bacteria - Characteristics and their role in preservation and spoilage of food.
- Hygiene and Waste disposal in relation to food processing.

iv. Food laws and Quality Assurance.

- National and International food laws – FSSAI, BIS, AGMARK, Codex and ISO: 22000, ISO: 14000
- Quality Assurance procedures – GMP, GHP, HACCP.

v. Nutrition through Lifespan/ Life cycle-

Nutrition during childhood- Growth and development, Growth reference/standards,
RDA, nutritional guidelines, Nutritional concerns, and healthy food choices.

- Infants
- Preschool children
- School children
- Adolescents
- Infant and young child feeding and care - Current feeding practices and nutritional concerns, Guidelines for infant and young child feeding, Breast feeding, Weaning and complementary feeding.
- Assessment and management of moderate and severe malnutrition among children, Micronutrient malnutrition among preschool children.
- Child health and morbidity, Neonatal, Infant and Child mortality, IMR and USMR; link between mortality and malnutrition;

vi. Nutrition during adulthood -Physiological changes, RDA, Nutritional guidelines, Nutritional concerns, Energy balance and healthy food choices.

- Adults
- Pregnant women-Nutritional needs during pregnancy, Common disorders of pregnancy (Anemia, HIV infection, Pregnancy induced hypertension), Relationship between maternal diet and birth out-come.
- Lactating mothers-Nutritional needs of nursing mothers and infants, determinants of birth weight and consequences of low birth weight, Breastfeeding biology, Breastfeeding support and counseling
- Elderly

vii. Nutrition for special conditions- Nutrition for physical fitness, Sport, Floods and war. Feeding problems in children with special needs

viii. Concept and Scope of Public Nutrition, Nutritional problems,

- Definition and multidisciplinary nature of public nutrition
- Concept and scope
- Role of public nutritionist
- Etiology, Prevalence, Clinical features and Preventive strategies of

  Under nutrition Protein energy malnutrition, Nutritional anemia's, Vitamin A deficiency, Iodine deficiency disorders;
  Over nutrition - Obesity, Coronary heart disease, Diabetes, Fluorosis

- National Nutrition Policy and Programmes - Integrated Child Development Services: (ICDS) Scheme Mid day Meal. Programme (MDMP), National programmer for prevention of Anaemia, Vitamin A deficiency, Iodine Deficiency Disorders. Overview of maternal and child nutrition policies and programmes.
- Human Development Indices.

ix. Assessment of nutritional Status

- Objectives and importance,
- Methods of assessment
  - **a.** Direct- Clinical signs, Nutritional anthropometry, Biochemical tests, Biophysical tests
  - **b.** Indirect- Diet surveys, vital statistics

x. Nutrition Education &Food and Nutrition Security

- Objectives, principles and scope of nutrition and health education and promotion
- Behaviour Change Communication

  Appropriate interventions involving different sectors such as Food, Health and Education.

  Concept, Component, Determinants and Approaches

  Overview of Public section programme for improving food and nutrition

xi. Introduction to Family Resource Management

- Concept, universality and scope of management
- Approaches of management
- Resources
- Understanding meaning, classification and characteristics of resources, Factors affecting utilization of resources.
- Maximizing use of resources and resource conservation.
- Availability and management of specific resources by an individual/ family

  Application of Management Process in:

  -Event Planning & Execution

xii. Family, Type, Functions, Role and responsibility: An overview

xiii. Communication:

- Concept and nature, Functions and types of Communication- communication transactions; Formal and informal communication; Verbal and Non-verbal Communication
- Cope of Communication Education, Training and learning industry, Motivation and Management,
- Intrapersonal Communication-Concept, Types and Functions of interpersonal communication, Stages in human relationship development, Small group communication: Types and Functions

- Organizational communication: Concept, Types, Functions and Networks
  Public communication- Concept and Techniques.
  Mass Communication- Concept, Significance, Functions and Elements
  Theories and models of mass communication
  Relationship between culture and communication.
  Communication for social change

xiv. Understanding Human Communication for Extension

- Culture and communication- Signs, symbols and codes in communication, tribal Culture of Jharkhand
- Elements, Principles, Models Barriers of Communication
- Concept, Nature and relevance to communication process: Empathy Persuasion Perception Listening –
- Concept, Nature and Philosophy of Extension
- Principles of Extension
- Methods and Media of community outreach; Audio-Visual aids- concept, Classification, Characteristics and Scope.
- Relationship between, Communication, Extension and Development

xv. Mass Media

- Communication and mainstream media- Newspaper, Radio, Television and Cinema, ICTS and web based communication
- Print Media: Types, Nature, Characteristics, Reach, Access
  Radio: Types, Nature, Characteristics, Reach, Access.
  Television and cinema: types, nature, characteristics, reach, access.
  ICTS: Types, Characteristics, Reach and Access.

xvi. THE CHILDHOOD YEARS

Introduction to Human Development

- Definition, History and Interdisciplinary nature of Human Development.
- Scope and importance of Human Development
- Principles of Growth and Development
- Stages and Factors affecting Development.

Prenatal Development, Birth and the Neonate

- Reproductive health
- Conception, Pregnancy- sign and complications, Birth Process and types of delivery.
- Stages and factors affecting Pre-Natal Development
- Capacities and care of the new born
- Infancy and Preschool years
- Physical and Motor development
- Social and Emotional development
- Cognitive and Language development
- Middle Childhood years
- Physical and motor Development
- Social and Emotional development
- Cognitive and Language development

xvii. DEVELOPMENT IN ADOLESCENCEAND ADULTHOOD

a) Introduction to Adolescence

- Developmental tasks during Adolescence
- Puberty, Sexual maturity, Nutrition, health, and Psychological well-being
- Self and identity
- Family and peer relationships
- Adolescent interface with media

b) Cognitive, Language and Moral development

- Perspectives on cognitive development
- Development of intelligence and creativity
- Adolescent language
- Adolescent morality

c) Introduction to Adulthood

- Definitions, Transition from adolescence to adulthood
- Developmental tasks of adulthood
- Physical and physiological changes from young adulthood to late adulthood
- Significance of health, Nutrition, and Well being

d) Socio-emotional and Cognitive development

- Diversity in roles and relationships
- Marriage-contemporary trends
- Parenting and grand parenting

e) Care and Human Development

- Definition, concepts & relevance of care
- Vulnerable periods in life that require care
- Principles &Components of care

f) Well-being and Human Development

- Concept of well-being- Physical, Psychological, Spiritual
- Life crises and well-being
- Factors &Experiences that promote well-being

g) Care &Well-being at different stages of life

- Childhood years
- Adolescence
- Adulthood and Old age
- Well-being of caregivers

h) Policies, Services & Programs

- School health programs
- Nutrition &Health for all
- Counseling &Yoga